



कार्यालयीय सूचना

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से एतद्वारा आदेशित किया जाता है कि श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के पौरोहित्य विभाग द्वारा एवं दिल्ली संस्कृत अकादमी, दिल्ली के संयुक्त तत्त्वावधान में "द्विदिवसीय अंतरराष्ट्रीय पौरोहित्य सम्मेलन का आयोजन हाइब्रिड माध्यम (ऑनलाइन/ऑफलाइन) में दिनांक 25-26 जुलाई, 2026 को प्रातः 09:30 बजे से विश्वविद्यालय परिसर स्थित वाचस्पति सभागार तथा कपिल सभागार (कक्ष संख्या 02 एवं 03) में किया जाएगा। सम्मेलन के सुचारु, सुव्यवस्थित एवं प्रभावी आयोजन हेतु निम्नलिखित दायित्व संबंधित विभाग द्वारा सौंपे जाते हैं।

क्र.सं.	अधिकारी/संकाय सदस्य	सौंपा गया दायित्व
1	प्रो. रामराज उपाध्याय, आचार्य, पौरोहित्य विभाग- संयोजक	सम्मेलन का समग्र पर्यवेक्षण एवं समन्वय: संबंधित शैक्षणिक, प्रशासनिक तथा सहायक इकाइयों से संपर्क; एवं सभी व्यवस्थाओं को समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करना।
2	प्रो. बृंदावन दाश, सह-संयोजक	संयोजक को सहयोग प्रदान करना तथा शैक्षणिक सत्रों, वक्ताओं एवं कार्यक्रम संबंधी गतिविधियों का समन्वय करना।
3	डॉ. मधुसूदन शर्मा - आयोजन सचिव	कार्यक्रम सारिणी, कार्यालयी पत्राचार, आमंत्रण, पंजीकरण, अभिलेख तथा सम्मेलन प्रलेखन की व्यवस्था करना।
4	डॉ. रविन्द्र कुमार पांडा समन्वयक	संयोजक से परामर्श कर सभागार, रसद, आतिथ्य, प्रतिभागी- सहायता तथा स्थल पर आवश्यक प्रलेखन की व्यवस्था करना।
5	डॉ. नितेश कुमार झा, सह-समन्वयक	समन्वयक को सहयोग प्रदान करना सभागार, रसद, आतिथ्य, प्रतिभागी सहायता तथा स्थल पर आवश्यक प्रलेखन की व्यवस्था करना।

संबंधित सहायक इकाइयों हेतु निर्देश:

- सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर/संगणक केन्द्र द्वारा निर्वाध इंटरनेट, श्रव्य-दृश्य सुविधाएँ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, रिकॉर्डिंग/प्रसारण तथा विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर कार्यक्रम/सूचना अपलोड करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
- सहायक अभियंता/अभियांत्रिकी विभाग द्वारा सभागारों की तैयारी, विद्युत, प्रकाश, ध्वनि-व्यवस्था, वातानुकूलन/वातायन, बैठने की व्यवस्था तथा अन्य आवश्यक सुविधाएँ सुनिश्चित की जाएँगी।
- छात्रावास अधीक्षक/ मेस प्रभारी द्वारा आवश्यकतानुसार अनुमोदित भोजन एवं अल्पाहार संबंधी व्यवस्था में सहयोग प्रदान किया जाएगा।
- अतिथि निवास प्रभारी द्वारा स्वीकृत अतिथियों के लिए उपलब्धता एवं विश्वविद्यालय के प्रचलित नियमों के अधीन आवास तथा आतिथ्य की व्यवस्था की जाएगी।
- छात्र कल्याण अधिष्ठाता द्वारा आवश्यकतानुसार छात्र स्वयंसेवकों की व्यवस्था तथा चिकित्सा अधिकारी द्वारा कार्यक्रम अवधि में आवश्यक चिकित्सा सहायता सुनिश्चित की जाएगी।

सभी संबंधित अधिकारी/कर्मचारी संयोजक के साथ निकट समन्वय स्थापित करते हुए दिनांक 24 जुलाई, 2026 तक आवश्यक व्यवस्थाएँ पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। यह कार्यालय आदेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

21/7/26
सहायक कुलसचिव (विकास)

प्रतिलिपि: - निम्नलिखित को सूचनार्थ, आवश्यक व्यवस्थाओं एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. विभागाध्यक्ष, पौरोहित्य विभाग
2. प्रो. रामराज उपाध्याय, संयोजक एवं आचार्य, पौरोहित्य विभाग
3. प्रो. सुंदर नारायण झा (छात्रावास अधिष्ठाता)
4. छात्र कल्याण पीठध्यक्ष
- ✓ 5. सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर
6. सहायक अभियन्ता
7. जन सम्पर्क अधिकारी
8. चिकित्सा अधिकारी (स्वास्थ्य चिकित्सा केंद्र)
9. निजी सचिव मा. कुलपति/कुलसचिव/वित्ताधिकारी
10. अतिथि निवास (प्रभारी)
11. सम्बन्धित पत्रावली
12. कार्यालय आदेश पत्रावली

2/15/21

सहायक कुलसचिव (विकास)

~~15/10/20~~
for Ma 25.
submit on file

Bd
23/07/26

San
23/07/26

Ishwa
Sachin
Kudateep
Sameer